



कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रेस विज्ञापित

राजनांदगांव, 28 मार्च । छ.ग. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम, 2012 तथा यथा संशोधित नियमों के तहत व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) के निःशक्तजनों के बैकलॉग भर्ती तथा व्याख्याता (पंचायत) की सीधी भर्ती हेतु विभिन्न विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था । जारी विज्ञापन के आधार पर विभिन्न विषयों के प्राप्त आवेदन पत्रों में संलग्न प्रमाण पत्रों के आधार पर पत्रतानुसार मैरिट की सूची का प्रकाशन किया गया है । मैरिट सूची के आधार पर चयन हेतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक- 10.04.2017 दिन सोमवार नियत किया गया है । नियत तिथि को आवश्यक प्रमाण पत्र सहित जिला पंचायत कार्यालय में सत्यापन हेतु कार्यालयीन समय 10.30 बजे उपस्थित हों । अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः अवसर प्रदाय नहीं किया जायेगा । सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचना पत्र प्रेषित किया गया है । सत्यापन हेतु पत्र अभ्यर्थियों को प्रेषित किये गये सूचना पत्र जिला पंचायत के सूचना पटल पर देखा जा सकता है तथा जिला पंचायत के वेबसाइट www.zprajinandgaon.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

पु.क्रमांक/ 41 /शि.क./जि.पं./स्था./2017
प्रतिलिपि :-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)
राजनांदगांव, दिनांक- 03/04/2017

1. कलेक्टर, राजनांदगांव को सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. संयुक्त संचालक, जन संपर्क, राजनांदगांव को विज्ञापन प्रकाशनार्थ ।
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, (सर्व) जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
6. कार्यालय सूचना पटल ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)